प्रेस विज्ञप्ति

जल स्त्रोतो मे दुर्गाजी विसर्जन हेतु जनहित में अपील

(1) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दुर्गाजी मूर्ति विसर्जन के अवसर पर अपने सभी-क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रयोगशाला प्रभारियो को निर्देशित किया है कि प्रत्येक प्रतिमा विसर्जन स्थल (जल स्त्रोत) की विसर्जन के पहले, विसर्जन के दौरान व विसर्जन के एक सप्ताह बाद जल गुणवत्ता की जॉच करें। इस जॉच में भौतिक-रासायनिक पैरामीटर जैसे पीएच, डिजाल्वड आक्सीजन,बायोलोजिकल आक्सीजन डिमाण्ड(बी.ओ.डी.), केमीकल आक्सीजन डिमाण्ड (सी.ओ.डी.),कण्डक्टीविटी, टर्बिडिटी, टोटल डिजाल्वड सालिड्स,टोटल सालिड्स एवं मेटल्स (क्रोमियम, लेड, जिंक, कॉपर) की जॉच किया जाना है। इस कार्य हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों व प्रयोगशाला प्रभारियों को जल स्त्रोतों की क्षेत्रानुसार सेम्पलिंग पाईट निश्चित करने के निर्देश भी दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि जल स्त्रोतो में प्रतिमाओं के विसर्जन के फलस्वरुप जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है क्योकि मूर्ति निर्माण में उपयोग किये जाने वाले अप्राकृतिक रंगो में विषैले रसायन होते है साथ ही प्रतिमाओं के साथ फूल, वस्त्र एवं सजावटी सामान (रंगीन कागज एवं प्लास्टिक) आदि भी विसर्जित होता है ।

(2) नगरीय प्रशासन से अनुरोध है कि जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं पडे इस लिए जल प्रदाय वाले स्त्रोतो पर मूर्तियों का विसंर्जन नहीं किया जाये।

(3) नगरीय प्रशासन को सुझाव है कि प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु आवश्यकतानुसार जल स्त्रोत (नदियो/तालाब) को निश्चित किया जाये जिससे अन्य नदियों/तालाबो को प्रदूषण से बचाया जा सकें ।

(4) प्रतिमाओं के साथ लाये गये उनके वस्त्र,पूजन सामग्री, प्लास्टिक का सामान, पॉलीथिन बेग्स एवं अनावश्यक सामग्री को तालाब/नदियों में नहीं डाला जायें । विसर्जन के पूर्व इस प्रकार की सामग्रियो को प्रतिमाओ से हटा लिया जावें।

(5) जिला प्रशासन से अपील है कि प्रतिमा विसर्जन करने वाली जनता को समुचित मार्ग-दर्शन व दिशा निर्देश हेतु एक समन्वय समिति का संगठन किया जायें जिसमें पुलिस, स्थानीय प्रशासन, अशासकीय संगठन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधी एवं धार्मिक समूहो को शामिल किया जायें ।

(6) प्रतिमा विसर्जन हेतु यदि सम्भव हो तो अस्थाई तालाब का निर्माण कर उसमें मूर्ति विसर्जन कराया जायें । ऐसे स्थलो के चारो ओर सुरक्षा घेरा बनाया जावें तथा तल में सिन्थेटिक लाइनर लगाकर ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया जावें। विसर्जन उपरान्त बचे हुए अवशेषो को किनारे पर लाकर मिट्टी इत्यादि को सेनेटरी लैंड फिल में तथा लकडी व बांस को पुर्नउपयोग किया जावें।

(7) मूर्ति विसर्जन के पश्चात सतही जल की गुणवत्ता की जॉच उपरांत ही अन्य जल स्त्रोतो में छोडा जायें।

(8) मूर्ति विसर्जन के बाद 24 घण्टे के अन्दर जल स्त्रोतो में विसर्जित फूल,वस्त्र, एवं सजावटी सामान (रंगीन कागज एवं प्लासिटक वस्तुए) को निकाला जायें जिससे जल में मूर्ति विसर्जन का न्यूनतम विपरीत प्रभाव पड़ें ।

(9) मूर्ति विसर्जन स्थलों के पास ठोस अपशिष्ठ को नहीं जलाया जायें ।

अध्यक्ष

सदस्य सचिव

प्रेस विज्ञप्ति को वेबसाईट **W.W.W.mppcb.nic.in** पर भी देखा जा सकता है ।

H1R